

(7)

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :
 संस्था का पता / Society's Address :
 संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :
 संपर्क संख्या / Contact Number :

सामाजिक उन्नकलन्याण शिक्षा संस्था
 गाम लगारी पो. खास तह. अवैसा जिला बैरी, Bareilly, 243303
 समन्वय उन्नत प्रदेश
 8979629409

संस्था का सदस्यता संख्या / Organization's membership no. :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	2100	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार से या इतने ही मृत्यु की समयते तक या अधिन रूप में देने वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।
विशेष सदस्य / Special Member	1100	संस्था, विशेष सदस्यों को उनके सामाजिक एवं शिक्षिक उपलब्धियों के आधार पर चयनित करते हैं उनके लिए सदस्यता शुल्क वर्ष निर्धारण कार्यकारिणी करेगी।
सामान्य सदस्य / General Member	200	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्य में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार नियमान्वय भाव से देने हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

सदस्यता की प्रतिनिधि / Representation of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पांचवां वर्ष विवरण हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या न्याय पर पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नेतृत्व अधिकारी में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

सदस्यता की विवरण / Details of Member :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :

बैठक / Meetings :

सूचना अवधि / Notice period :

गणपूर्ति / Quorum :

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date :

साधारण सभा के अधिकार एवं कार्यालय / Rights and Duties of the General Body

साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, विशेष सदस्य / Special Member, सामान्य सदस्य / General Member द्वारा किया जायेगा।

साधारण सभा ने सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाए जा सकते हैं। असाधारण बैठक की सूचना नियमित या किसी भी सामयम से 1 से 24 घंटे पूर्वी दी जायेगी।

सूचना में हेतु अजेञ जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना वर्ष से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी।

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

यह अधिवेशन हा साल के अन्तिम सप्ताह में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर अधीत दिसम्बर माह के अन्तिम सप्ताह में आहुत किया जायेगा इसमें वार्षिक बजट पर विचार होगा।

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति ने नियोजन अपने सदस्यों में से करना। 2. संस्था के आय व्यय पर नियवण रखता व भालाना रिपोर्ट पास करना व स्वीकृत बजट को टय्य करना। 3. संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना व नियमों से परिवर्तन करना। 4. कार्यकारिणी समिति से रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति करना। 5. संस्था की व्यवस्था बनाये रखने से सहयोग प्रदान करना।

⑧

विकास नियोगी समिति - Management Committee

गठन / Formation

साधारण सभा द्वारा नियोगित पदाधिकारियों / सदस्यों ने मिलाकर प्रबन्धकारियों समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपसचिव-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, सचिव-1, सदस्य-2 होंगे इस प्रकार कुल सदस्य मिलाकर 7 होंगी।

सूचना अवधि / Notice period

प्रबन्धकारियों समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व विशेष बैठक की सूचना 72 पटे पूर्व सदस्यों का लिखित रूप से दी जाएगी।

बैठकें / Meetings

प्रबन्धकारियों समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 1 दिन पूर्व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी सारणी में 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

गणपूर्ति / Quorum:

प्रबन्धकारियों समिति के अधिकार एवं कर्तव्य Rights and Responsibilities of office bearer of Managerial Body

1. समिति का उचित रूप से संचालन करना। 2. सभ्या के उद्देश्यों की पूर्ति करना व नियमों में परिवर्तन करना। 3. सदस्यों के त्वाग पद स्थीकार करना। 4. सभ्या के हित में उचित नियंत्रण करना तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। 5. सभ्या की धनराशि तथा विभिन्न दस्तावेजों की जांच करना।

रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats

6. प्रबन्धकारियों समिति के अंतर्गत विस्ती भी प्रकार की आक्रियक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यवाही के लिए की जाएगी।

कार्यकाल / Tenure

प्रबन्धकारियों समिति के सामान्य नियाय द्वारा नियोगित प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by General Body

- युनान प्रक्रिया में वह सभी सदस्य भाग ले सकते जिन्होंने नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा करके उचित रोटीद पात कर करते हों तथा जिन्होंने साधारण सभा के गठन के अनुसार मत देने का अधिकार ही साधारण सभा द्वारा चुनाव के लिए आमुत की गयी नियमानुसार बैठक में समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों का युनान काम से कम एक पस्तावक और एक अनुमोदक के द्वारा होना अनिवार्य होगा। प्रबन्धकारियों समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा, प्रबन्धकारियों समिति में पदाधिकारियों सहित सदस्यों के संघटक कम से कम 7 एवं अधिक से अधिक 25 सदस्य होने जिनकी मरुता आवश्यकता होने पर कोई भी घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

अध्यक्ष

1. समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना। 2. समिति के अधिकारों की सुरक्षा करना एवं उसकी देखभाल करना। 3. सभ्या से सम्बन्धित सभी प्रश्नों की देखभाल करना। 4. सभ्या के समस्त कार्यों का नियोगित करना। 5. सभ्या के अपने अनुप्रय सुझाव देना। 6. सभ्या के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सलाह मस्तिष्किका करना। 7. सभ्या के हित में कार्य करने हेतु सलाह मस्तिष्किका करना। 8. सभ्या के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।





उपाध्यक्ष

2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को करना व उसके कार्यों में सहयोग करना। 3. सभ्यति की बैठकों का आयोजन करना एवं उसकी लिपि नियोगित करना। 4. बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर में लिपिबद्ध करना व उसको बैठकों में पढ़कर सुनाना। 5. बैठक में समान मत होने पर अपना एक नियोगक भत्ता देना जो कि अनियम होगा और सभी पदाधिकारियों के सदस्यों को मन्दिर होगा। 6. सभ्या की ओर से समस्त प्रकार के यज्ञ-व्यवहार करना। 7. सभ्या की ओर से होने वाली अदानी कार्यवाही की परीक्षा करना। 8. सभ्या के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य-केन्द्र सरकार, सरकारी एवं अदानी सरकारी विभागों से दान, घन्दा, अनुदान एवं राष्ट्रीय विद्यों से यज्ञ सहायता प्राप्त करना। 9. सभ्या के पदाधिकारियों/सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर घटाने-बढ़ाने का अधिकार होगा। 10. सदस्यों/पदाधिकारियों को बहुमत के आधार पर परिवर्तन करना। 11. सभ्या की ओर से होने वाली समस्त प्रकार के दैनानामालेकानामा/इकारानामा, छण तथा सभ्या के समस्त प्रकार के अभिलेखों/प्रपत्रों प्राप्ति पर हस्ताक्षर करना। 12. यह सभ्या का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा एवं बैठकों का एजेंडा जारी करेगा। 13. सभ्या के कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत करना। 14. सभ्या के कार्य का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।

उपसचिव
कोषाध्यक्ष

4. सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को करना व उसके कार्यों में सहयोग करना। 5. यह अपने पास 1000/- ₹० तक नकद रुपये सकता है इससे अधिक प्रनाली को सरकारी बैंक/प्राइवेट बैंक/सहकारी बैंक या पोस्ट अफिस से जमा करेगा तथा बिल वात्तर तैयार कर उनको पास करायेगा। 6. 1. सभ्या के कियाकलापी को जन सामान्य में प्रसारित करना। 2. सभ्या के विकास एवं उन्नति हेतु अन्य आवश्यक कार्यों को करना। 3. सभी सदस्यों को अपना मत प्रकट करने का अधिकार रहेगा।

सदस्य

पदाधिकारी/Post

1. ओषधियक्ष
2. महिल

1. Government Donation
2. Government Loan
3. Maintenance amount
4. Membership Fee
5. Other Sources

समाज का नियम विस्तार से अवधारणा को बढ़ावा / Society's Rules and Regulations Revision Process

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

समस्या का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भ्राता शिड्युलड बैंक, पोस्ट ऑफिस, या प्राइवेट बैंक में सम्पत्ति के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा, जिसका संचालन ओषधियक्ष एवं महिल के समुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

समाज के द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध से संचालन का उत्तरदायित्व / Responsibility for conducting the affairs by the society.

यदि समस्या किसी न्यायालय में कोई वाट दायर करेगी उपर्याक समस्या के विरुद्ध कोई वाट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किया जायेगा, तो इसके संचालन का पूरी उत्तरदायित्व समस्या के महिल का होगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था का अभिलेख / Society's records

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
 - a) साधारण सभा / General Body.
 - b) कार्यकारी नियाय / Executive Body.
3. स्टोक रजिस्टर / Stock Register
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. केश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रेसीट बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रेसीट बुक / Donate receipt book.

समस्या का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एवं की प्रता 13 वा 14 के अन्तर्गत की जाएगी / Society dissolution and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनांक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature